International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 7 Issue 10, October- 2017
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939

दलित और जाति लिंग राजनीति

Dr Anita Tanwar

Associate Professor in Political Science

Govt college krishan nagar Haryana Distt Mahendergarh (HARYANA

सार

भारतीय समाज में जाति और लिंग आधारित असमानताएं सदियों से एक जटिल समस्या रही हैं। दलित समुदाय, जो कि भारतीय समाज के सबसे हाशिए पर स्थित वर्गों में से एक है, ने इन दोनों ही प्रकार की असमानताओं का सामना किया है। इस निबंध में हम दलितों की स्थिति, जाति और लिंग आधारित राजनीति के बीच के संबंधों और इस जटिल विषय के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। दलितों को भारतीय समाज में सदियों से अछूत माना जाता रहा है और उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखा गया है। जाति व्यवस्था के कारण उन्हें कई तरह के भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। दलित महिलाएं तो इस दोहरे शोषण की शिकार रही हैं, उन्हें न सिर्फ जाति के आधार पर बल्कि लिंग के आधार पर भी भेदभाव का सामना करना पड़ा है। भारतीय राजनीति में जाति और लिंग दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए इन पहलुओं का फायदा उठाते हैं। दलितों को वोट बैंक के रूप में देखते हुए राजनीतिक दल उनके मुद्दों को उठाते हैं और उन्हें आरक्षण जैसे लाभ प्रदान करते हैं। हालांकि, यह आरक्षण भी दलितों की समग्र स्थिति में सुधार लाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

मुख्य शब्द

दलित, जाति, लिंग, राजनीति

भूमिका

लिंग आधारित राजनीति में महिलाओं को राजनीति में अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व देने पर जोर दिया जाता है। हालांकि, दलित महिलाओं को इस प्रतिनिधित्व में भी कम ही जगह मिलती है। वे न सिर्फ जाति बल्कि लिंग के आधार पर भी भेदभाव का शिकार होती हैं। भारतीय समाज सदियों से जाति व्यवस्था की जंजीरों में जकड़ा रहा है। दलित समुदाय, इस व्यवस्था का सबसे निचला तबका, सदियों से सामाजिक,

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 7 Issue 10, October- 2017
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939

आर्थिक और राजनीतिक रूप से वंचित रहा है। भारत के संविधान निर्माताओं ने इस असमानता को दूर करने के लिए कई उपाय किए, जिनमें से एक महत्वपूर्ण उपाय था - दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान।

आरक्षण का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय स्थापित करना था। सदियों से दलितों को मिली उपेक्षा और भेदभाव को दूर करके उन्हें मुख्यधारा में लाने का प्रयास था। आरक्षण के माध्यम से दलित समुदाय को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अवसर प्रदान किए गए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।आरक्षण का लक्ष्य समाज में समानता लाना था। यह सुनिश्चित करना था कि सभी वर्गों के लोगों को समान अवसर मिलें और कोई भी समूह वंचित न रहे।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) में राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और शैक्षिक उत्थान के लिए विशेष उपाय करने का अधिकार देता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 16(4) में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है।

भारतीय संविधान में दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान एक क्रांतिकारी कदम था। इसने दलित समुदाय को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, आरक्षण के विरुद्ध कुछ तर्क भी हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि आरक्षण ने दलित समुदाय के जीवन में सकारात्मक बदलाव किए हैं।

आगे बढ़ने के लिए हमें आरक्षण के साथ-साथ अन्य उपायों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे कि शिक्षा में सुधार, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और सामाजिक जागरूकता। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां सभी को समान अवसर मिलें और कोई भी वंचित न रहे।

भारत का इतिहास सदियों से सामाजिक असमानता और जातिवाद की जटिल समस्याओं से जूझता रहा है। दलित आंदोलन इसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ एक क्रांतिकारी संघर्ष रहा है। यह आंदोलन न केवल दलितों के अधिकारों के लिए लड़ता रहा है बल्कि पूरे भारतीय समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास भी करता रहा है। इस निबंध में हम दलित आंदोलन के इतिहास, इसके प्रमुख नेताओं और उनके योगदान, तथा आंदोलन के समक्ष मौजूद चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

दलित आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी के मध्य में हुई जब ज्योतिबा फुले जैसे विचारकों ने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और दलितों

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 7 Issue 10, October- 2017
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939

के शिक्षा और सामाजिक उत्थान पर जोर दिया।

20वीं सदी में डॉ. भीमराव अंबेडकर ने दलित आंदोलन को एक नई दिशा दी। उन्होंने दलितों के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग की और भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंबेडकर ने दलितों को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया और दलित बौद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कर दलितों के शिक्षा और सामाजिक उत्थान का बीड़ा उठाया। ज्योतिबा फुले की पत्नी, सावित्रीबाई ने भी दलित महिलाओं के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया।

अंबेडकर ने दलितों के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग की और भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेरियार ने दक्षिण भारत में दलित आंदोलन को मजबूत किया और जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई।

दलित और जाति लिंग राजनीति

दलित आंदोलन ने भारतीय समाज में जातिवाद के खिलाफ जागरूकता पैदा की। आंदोलन ने दलितों के शिक्षा और सामाजिक उत्थान पर जोर दिया। दलितों को राजनीतिक अधिकार दिलाने में आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आंदोलन ने भारतीय समाज में कई सुधार लाने में योगदान दिया।

जातिवाद आज भी भारतीय समाज में एक गहरी समस्या है। दलितों की आर्थिक स्थिति अभी भी अन्य वर्गों की तुलना में कमजोर है। दलितों को अभी भी सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है।दलितों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व अभी भी पर्याप्त नहीं है।

दलित आंदोलन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस आंदोलन से न केवल दलितों के जीवन में बदलाव लाया बल्कि पूरे भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। हालांकि, अभी भी कई चुनौतियाँ बाकी हैं। दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखनी होगी।

दहेज प्रथा, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, यौन हिंसा, और सामाजिक बहिष्कार दलित महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के सामान्य रूप हैं। दलित महिलाओं को अक्सर जातिगत आधार पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और बलात्कार का सामना करना पड़ता है।दलित महिलाएं राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए अक्सर धमकी और हिंसा का शिकार होती हैं। दलित महिलाओं को अक्सर कम मजदूरी पर काम करना पड़ता है और उन्हें समान अवसरों से वंचित रखा जाता है।

भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था दलित महिलाओं को सबसे निचले स्तर पर रखती है, जिससे वे

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 7 Issue 10, October- 2017
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939

सभी प्रकार के शोषण के लिए अतिसंवेदनशील हो जाती हैं। महिलाओं के खिलाफ व्यापक सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव दलित महिलाओं के लिए स्थिति को और खराब बनाते हैं। दलित महिलाओं की आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति उन्हें शोषण के लिए अधिक संवेदनशील बनाती है।

लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ कानून होने के बावजूद, उन्हें प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जाता है, जिससे अपराधी आसानी से बच निकलते हैं। लिंग आधारित हिंसा के मुद्दे पर पर्याप्त जागरूकता का अभाव होने के कारण लोग इस समस्या को गंभीरता से नहीं लेते हैं।

हिंसा के शारीरिक और मानसिक प्रभाव दलित महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता को काफी कम कर देते हैं।हिंसा के शिकार होने के कारण दलित महिलाओं को अक्सर अपने समुदाय से बहिष्कृत कर दिया जाता है। हिंसा के कारण दलित महिलाएं अपनी आजीविका खो सकती हैं और गरीबी में धकेल दी जा सकती हैं। हिंसा के शिकार होने के कारण दलित महिलाओं को अवसाद, चिंता और अन्य मानसिक समस्याएं हो सकती हैं।

दलित महिलाओं के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। लिंग आधारित हिंसा के मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिए व्यापक अभियान चलाए जाने चाहिए। दलित महिलाओं को शिक्षित करके उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। दलित महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।जाति व्यवस्था और लैंगिक असमानता जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

दलित महिलाओं के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा एक गंभीर सामाजिक समस्या है जिसे समाज के सभी वर्गों के सामूहिक प्रयासों से ही खत्म किया जा सकता है।

भारत एक विविधतापूर्ण देश है, जहां विभिन्न धर्मों, जातियों और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। हालांकि, जाति व्यवस्था सदियों से भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग रही है, और इसने सामाजिक असमानता को जन्म दिया है। जाति आधारित भेदभाव, भारत में एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जिसका प्रभाव देश के सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। इस निबंध में, हम भारत में जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ मौजूद कानूनों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे।

भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया है। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे और कानून का समान संरक्षण पाने के हकदार होंगे। अनुच्छेद

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 7 Issue 10, October- 2017
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939

15 में जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है।

भारत में जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ कई कानून बनाए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955: इस अधिनियम में अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है और इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989: इस अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकना है।

लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO अधिनियम): इस अधिनियम में बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों को दंडनीय बनाया गया है, जिसमें जाति आधारित भेदभाव के कारण होने वाले अपराध भी शामिल हैं।

हालांकि भारत में जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ कई कानून हैं, फिर भी इस समस्या का पूरी तरह से उन्मूलन नहीं हो पाया है। इसके कुछ कारण निम्नलिखित हैं:

सामाजिक मान्यताएं: जाति व्यवस्था सदियों से भारतीय समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी है। इसे बदलने में समय लगेगा।

कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन न होना: कई बार, जाति आधारित अपराधों के मामलों में दोषियों को सजा नहीं मिल पाती है।

जागरूकता का अभाव: कई लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होता है।

दलित महिलाओं को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें शामिल हैं:

घरेलू हिंसा: दलित महिलाएं घरेलू हिंसा की अधिक शिकार होती हैं।

शिक्षा और रोजगार: दलित महिलाओं की शिक्षा और रोजगार की दर अन्य वर्गों की महिलाओं की तुलना में कम होती है।

सामाजिक बहिष्कार: दलित महिलाओं को सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया जाता है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी: दलित महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कम ही जगह मिलती है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 7 Issue 10, October- 2017
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939

निष्कर्ष

दलित और जाति लिंग राजनीति एक जटिल विषय है। दलितों, विशेषकर दलित महिलाओं को भारतीय समाज में अभी भी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें समाज में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। साथ ही, सरकार को भी दलितों के उत्थान के लिए प्रभावी नीतियां बनानी होंगी। भारत में जाति आधारित भेदभाव एक जटिल समस्या है, जिसके समाधान के लिए व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है। कानूनों के साथ-साथ, सामाजिक जागरूकता बढ़ाने, शिक्षा के स्तर में सुधार करने और सभी वर्गों के लोगों के बीच समानता लाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। केवल तभी हम जाति आधारित भेदभाव मुक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं।

सन्दर्भ

जाफ़रलॉट, क्रिस्टोफ़ (2013)। भारत की मौन क्रांति: उत्तर भारत में निचली जातियों का उदय। हर्स्ट. आयसबीएन 9781850653981.

"बहुजन आंदोलन का कारवां - इसने अपनी गति और दिशा क्यों खो दी"। velivada.com। अंतिम प्रवेश 2015-03-09।

"बसपा का विरोधाभासी बहुजन - प्रतिधाराएँ"। काउंटरकरंट्स (अमेरिकी अंग्रेजी)। 2015-04-28। मूलसं 2015-10-28 कऽ सङ्ग्रहित। अंतिम प्रवेश 2015-03-09।

"बहुजन समाज पार्टी: भारत की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी - बहुमत पीपुल्स पार्टी।" www.bspindia.org। मूलसं 2015-10-26 कऽ सङ्ग्रहित। अंतिम प्रवेश 2015-03-09।